अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 31/2013

किशोरी सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,मढौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 1316 दिनांक 17.04.13 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 02.03.13 को पानापुर प्रखंड अन्तर्गत सतजोडा पंचायत के ज०वि०प्र० विक्रेता किशोरी सिंह, अनुज्ञप्ति सं० 20/07 प्रखंड पानापुर की दूकान की जॉच अनुमंडल स्तरीय जॉच दल के द्वारा की गई। जॉच के क्रम में, निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः– 1. जॉच दल को देख–कर विक्रेता फरार हो गये। 2. माह जनवरी का भुगतान सूदा कूपन वापस नहीं किया गया है। 3. भंडार के सत्यापन में किरासन तेल कम पाया गया। 4. 2.50 लीटर किरासन तेल 45 रू० लेकर दिया जाता है। 5. अन्त्योदय योजना में 25 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है जिसमें 10 किलो गेहूँ एवं 15 किलो चावल 100 रू० में दिया जाता है। 6. बी०पी०एल० योजना में 10 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल 150 रू० लेकर दिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 622 दिनांक 04.03.13 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता से जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः	

ज्ञापांक 873 दिनांक 21.03.13 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा दिनांक 26.03.13 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा अपने ज्ञापांक 1316 दिनांक 17.04.13 के द्वारा विक्रेता की अनु0 रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा में विक्रेता पर जॉच दल को देखकर फरार होने का आरोप लगाया गया है जो बिल्कुल निराधार है। विक्रेता 7 बजे से 1 बजे तक अपने व्यपार स्थल पर मौजूद थे। विक्रेता पर जनवरी 2013 के भुगतान सुदा कूपन वापस नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जबकि विक्रेता के द्वारा जनवरी 2013 के खाद्यान्न का उठाव ही नहीं किया गया है और न ही उपभोक्ताओं से माह जनवरी 2013 का कूपन ही लिया गया है। अगर विक्रेता के द्वारा कूपन लिया गया होता तो उस कूपन पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता का हस्ताक्षर अवश्य होता। किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा फसाने की दृष्टि से विक्रेता पर यह आरोप लगाया गया है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का वितरण कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल विक्रेता के द्वारा आचरण किया गया। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1316 दिनांक 17.04.13) में कई कमियॉ नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा में कहीं भी विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले उपभोक्ता का नाम अंकित नहीं है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह

आवश्यक है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति के संबंध में स्पष्ट विवरणी कारण पृच्छा में अंकित की जाय। इसके बिना कारण पृच्छा अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। यदि जॉच के क्रम में विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजात में कोई कमी या कोई अनियमितता पाइ जाय, तो यह आवश्यक है कि उस संबंध में विकेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाय, एवं उनसे प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक विधि सम्मत आदेश पारित किया जाय, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रूटिपूर्ण पाकर उसे निरस्त करते हये अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 08.05.13 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

23/01

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/01/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 503 /दिनांक 04/8/15/

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

04/8/15